न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 15/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/37

निर्मला पत्नी बजरंग वार्ड पंच ग्राम पंचायत खाटां पंचायत समिति रायसिंहनगर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 07.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्रांक/सूकाअ/24/3618 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर से संबधित हैं। प्रकरण अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 05.02.24 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था जिसपर कार्यालय के पत्रांक/सूकाअ/24/3271 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा विकास अधिकारी पचांयत समिति रायसिंहनगर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था जिसकी सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक/सूकाअ/24/3272 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा दी गई थी।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्रांक/सूकाअ/24/3271 दिनांक 05.02.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति को प्रेषित करते हुए सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया एवं पत्र की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गयी हैं। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विनिश्चय पारित करते हुए आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर को हस्तांतरित करते हुए आवेदक/अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका हैं। विकास अधिकारी, पंचायत समिति के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:06 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
जिला कलक्टर अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)